उत्तर प्रदेश शासन
सहकारिता अनुभाग-1
संख्या-109/49-01-2018-53 (मिस) / 17
लखनऊः दिनाँक 21 मार्च, 2018
<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में नाबार्ड द्वारा की गयी अपेक्षानुसार पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (एस०आई०एम०सी०) एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (डी०आई०एम०सी०) गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**राज्य स्तरीय कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (एस०आई०एम०सी०)**

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- अध्यक्ष
2- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।
4- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड।
5- तीन चिन्हित जिला सहकारी बैंक (क्रमागत)
6- तकनीकी वेंडर / वेंडर्स- (विशेष आमंत्री)
7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि0 सदस्य सचिव

**जिला स्तरीय कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (डी०आई०एम०सी०)**

1- सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता- अध्यक्ष
2- नाबार्ड प्रतिनिधि
3- पैक्स के कतिपय प्रतिनिधि
4- तकनीकी वेंडर / वेंडर्स के प्रतिनिधि
5- सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी- सदस्य सचिव

**राज्य स्तरीय कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (एस०आई०एम०सी०) की भूमिका**

1- उक्त समित्ति राज्य में इस परियोजना के क्रियान्वयन में निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य करेगी।
2- उक्त समिति प्रथमतः परियोजना प्रारम्भ हेतु सभी हितधारकों के साथ एक बैठक करेगी जिसमें एन०आई०एम०सी० द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों पर विस्तार से विचार-विमर्श करेगी।
3- उक्त समिति योजना में सम्मिलित किये जाने वाले चयनित पैक्स की सूची का अनुमोदन करेगी।

4- उक्त समिति एन०एम०आई०सी० द्वारा अनुमोदित सिस्टम इन्टीग्रेटर पूल से राज्य हेतु सिस्टम इन्टीग्रेटर का अनुमोदन करेगी।
5- उक्त समिति योजना के क्रियान्वयन में भारत सरकार/नाबार्ड से प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6- उक्त समिति एन०आई०एम०सी० एवं डी०आई०एम०सी० के मध्य मध्यस्थता की भाँति कार्य करेगी।
7- उक्त समिति सिस्टम इन्टीग्रेटर और एन०एल०पी०एस०पी० के क्लेम अनुमोदित करेगी और संस्तुति राज्य कोआपरेटिव बैंक को देगी।
8- उक्त समिति राज्य स्तर के विवादों का भी निपटारा करेगी।
9- उक्त समिति सम्बद्ध राज्यों की योजनाओं को देखेगी और उसको मानीटर करेगी। उक्त समिति योजना की प्रगति की मानीटरिंग हेतु पाक्षिक/मासिक बैठकों का आयोजन करेगी।

**जिला स्तरीय कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (डी०आई०एम०सी०) की भूमिका**

1- उक्त समिति क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली का प्रथम सोपान होगी एवं सम्पूर्ण संरचना के अन्तर्गत अनुश्रवण प्रणाली भी णाली भी होगी।
2- उक्त समिति योजना के सुगमता पूर्वक कियान्वयन हेतु जिम्मेदार होगी और जिला स्तर के समस्त मुद्दों का समाधान करेगी।
3- उक्त समिति योजना कियान्वयन के मुददे जैसे कनेक्टिविटी, बिजली सप्लाई, पैक्स आडिट पूर्ण कराना आदि विषयों हेतु कार्यवाही करेगी और वेंडर एवं क्लाइंट के मध्य के किसी भी विवाद को सुलझायेगी।
4- उक्त समिति निर्धारित अर्हता मानकों के अन्तर्गत चयनित पैक्स की संस्तुति एस० आई०एम०सी० को अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी।
5- उक्त समिति प्रगति के तिमाही विवरण पत्र को अनुमोदित कर अग्रसारित करेगी।
6- उक्त समिति एन०आई०एम०सी द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अन्तर्गत वेंडर के क्लेम को भुगतान किये जाने हेतु एस०आई०एम०सी० को अनुमोदन भेजेगी।
7- उक्त समिति सम्बद्ध जिलो की योजनाओं को देखेगी और उसको मानीटर करेगी।

**बैठकों का विवरण**

1- राज्य स्तरीय कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठकें पाक्षिक / मासिक होंगी।
2- जिला स्तरीय कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठकें साप्ताहिक होंगी।

हरिराज किशोर,
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-109(1)/49-01-2018 तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।

2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3- उक्त गठित कमेटियों के समस्त अधिकारीगण ।

4- समस्त संयुक्त/उप आयुक्त एव संयुक्त/उप निबन्धक, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश।

7- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (अधि०) सहकारिता उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त एवं निबन्धक एवं समस्त सचिव /मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

(मो० जुनीद)
विशेष सचिव।